फाइल नं0-71-1001(099)/483/2021

106/2022/।/221207/2022

प्रेषक

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनॉक 03 अक्टूबर, 2022**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत देयों का केन्द्रीयकृत भुगतान किये जाने हेतु मानक मद-09 विद्युत देय में पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2022-23/332, दिनांक 31.08.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-09-विद्युत देय मद में राजकीय मेडिकल कालेजों/सम्बद्ध चिकित्सालयों/संस्थानों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष हो रही बचत को राजस्व लेखा पक्ष में 2210-05-001-03-09-विद्युत देय कुल रू0 115.9144 करोड़ (रू0 एक अरब पन्द्रह करोड़ इक्यानवे लाख चौवालिस हजार मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
2- **पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।**
3- **जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा।**
4- **जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।**
5- **जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर लिया जायेगा।**
6- **स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:-उपरोक्त तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यंक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज/निदेशक, हृदय रोग संस्थान, जे0के0 कैंसर संस्थान,कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, समस्त राजकीय मेडिकल कालेज/ हृदय रोग संस्थान, जे0के0 कैंसर संस्थान,कानपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, समस्त राजकीय मेडिकल कालेज/ हृदय रोग संस्थान, जे0के0 कैंसर संस्थान,कानपुर।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।